न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज०

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का तिजारिया बनाम राजेन्द्र s/o मक्खी नाई बमनपुरा।

प्रकरण अर्न्तगत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण सँख्या 438/2017

निर्णय दिनाँक :- 26/10/17

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम बमनपुरा की आ०ख०न० 161 कुल रकवा 1.57 किस्म जमीन गैरमु० तलाई में से 0.01 रकवे पर श्री प्रकाश s/o मुरारीलाल अहीर ने अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का तिजारिया द्वारा दिनाँक 29.9.17 को उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू०अ०निरी० बड़ौदामेव के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी प्रकाश s/o मुरारीलाल जाति अहीर निवासी बमनपुरा को भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी प्रकाश उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबवा आ०ख०न० 161 रकवा 1.57 में से 0.01 रकवे किस्म गैरमु० तलाई है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा गैरसायल को अतिक्रमित रकवे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं दण्ड स्वरूप लगान 6 Paise का 50 गुणा 3/- रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांग कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी तिजारिया भू०अ०निरी० बड़ौदामेव को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

26/10

तहसीलदार
कठूमर, अलवर (राज०)